न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी ,मालाखेड़ा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– सुश्री नवज्योति कंवरिया (R.A.S)

अपील सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
5/7	28.06.2024	03.02.2025

उनवान

1. रामलाल बलाई पुत्र श्री भगवान सहाय निवासी खारेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0 ——अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत भण्डोडी पंचायत समिति मालाखेडा जरिये सरपंच वर्तमान ग्राम पंचायत खारेडा पंचायत समिति मालाखेडा जरिये सरपंच ——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 156 दिनांक 30.06.1975 ग्राम पंचायत भण्डोडी/वर्तमान ग्राम पंचायत खारेडा

उपस्थिति श्री रिपुदमन सिंह (वकील अपीलान्ट)

<u>निर्णय</u>

अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत की। अपील का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि विरासत इंतकाल संख्या 156 दिनांक 30.06.1975 ग्राम पंचायत भण्डोडी/वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत खारेडा पंचायत समिति मालाखेडा को स्वीकार किया गया है, जिसमे अपीलान्ट का सही व वास्तविक नाम रामलाल बलाई के स्थान पर हबला दर्ज कर स्वीकार किया गया है, स्वीकृत इंतकाल के समय अपीलान्ट पंचायत में उपस्थित नही था इसलिये उक्त इंतकाल की जानकारी अपीलान्ट को नही हो सकी। उक्त इंतकाल की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 08.05.2024 को क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर प्राप्त हुई। विलम्ब अवधि में राहत हेतु प्रार्थना प्रार्थना पत्र धारा–5 लिमिटेशन एक्ट के तहत पेश किया है। इंतकालाधीन आराजी अपीलान्ट के पिता भगवान सहाय की खातेदारी की आराजी थी, जिनके स्वर्गवास पश्चात भगवान सहाय के वारिसान के नाम इंतकाल संख्या 156 दिनांक 30.06.1975 को स्वीकार किया गया। अपीलांट का सही व वास्तविक नाम रामलाल है तथा यही नाम अपीलान्ट के समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड संख्या 269089744165 व आयकर विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड व अन्य दस्तावेजात मे भी अपीलान्ट का नाम रामलाल दर्ज है। उक्त इन्तकाल में अपीलान्ट का नाम हबला दर्ज होने से अपीलान्ट के हक–हकूक जायल होने का अंदेशा है। अपीलान्ट ने अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत भण्डोडी/वर्तमान ग्राम पंचायत खारेडा, पंचायत समिति मालाखेडा, जिला अलवर की आज्ञा दिनांक 30.06.1975 बाबत इन्तकाल संख्या 156 वाके ग्राम खारेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर को संसोधित कर विरासत इंतकाल में अपीलान्ट का गलत नाम हबला के स्थान पर सही व वास्तविक नाम रामलाल बलाई दर्ज किया जावे। अपील के साथ अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

... कोर्ट फीस दो रूपया चस्पा कर पेश है।

मेयाद अधिनियम पेश कर अपील दायर करने में हुई देरी पर राहत प्रदान करने का निवेदन किया।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जर्ये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किये गये। रेस्पोडेन्ट सरपंच ग्राम पंचायत खारेडा ने जवाब पेश करते हुये कथन किया कि रामलाल पुत्र भगवान जाति बलाई निवासी ग्राम खारेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर का निवासी है, जिसके समस्त कागजों में रामलाल पुत्र भगवान है, जबकि खारेडा की जमाबन्दी में हबला पुत्र भगवान है। रामलाल व हबला दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः अपीलान्ट का नाम रामलाल पुत्र भगवान दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम पर नरम रूख अपनाते हुये देरी के समय को मुजरा किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति स्वीकार की जाती है।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। मातहत अदालत द्वारा दिनांक 30.06.1975 को इन्तकाल संख्या 56 भगवान के वारिसान बदरी, हबला व लाल्या के नाम दर्ज किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2036 खाता संख्या 142 में बदरी, हबला, लाल्या पुत्रान भगवान दर्ज है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 खाता संख्या–46 व 47 में हबला पुत्र भगवान सा0 देह खातेदार दर्ज है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अन्य विधिक दस्तावेजात में रामलाल पुत्र भगवान सहाय का अंकन है। तहत अदालत को अपना आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिये था किन्तु तहत अदालत ने विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाते हुये आलोच्य आदेश पारित किया है। तहत अदालत द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 30.06.1975 बाबत् इन्तकाल संख्या 156 दिनांक 30.06.1975 में विधिक प्रावधानों का अभाव होने पर पृथम दृष्टया अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहत अदालत पारित आलोच्य आदेश दिनांक 30.06.1975 बाबत् इन्तकाल संख्या 156 वाके ग्राम खारेडा ग्राम पंचायत भण्डोडी/वर्तमान ग्राम पंचायत खारेडा तहसील मालाखेडा अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मालाखेडा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा की भली प्रकार जांच कर नियमानुसार अपीलान्ट के पक्ष में पुनः नामान्तकरण की कार्यवाही करे।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर) राज०

यह निर्णय आंज दिनांक 03.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया खुले न्यायालय जाकर सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर) राज०

1— यह कि अपील हाजा पर कोर्ट फीस दो रूपया चस्पा कर पेश है।